संख्या- 93/2024/1644/छप्पन-2024-98/2013टी0सी0

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 16 अक्टूबर, 2024

विषयः आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु 11के0वी0 Feeder IAF Line की शिफ्टिंग के सम्बन्ध में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 200/आर0सी0एस0-2024-ए-01/2020 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु 11 के0वी0 Feeder IAF Line की शिफ्टिंग के सम्बन्ध में धनराशि रू0 69,20,189.00/- (रूपए उनहत्तर लाख बीस हजार एक सौ नवासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त धनराशि का वहन वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु 11 के0वी0 Feeder IAF Line की शिफ्टिंग के सम्बन्ध में धनराशि रू0 69,20,189.00/- (रूपए उनहत्तर लाख बीस हजार एक सौ नवासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान के साथ सम्पूर्ण धनराशि 69,20,189.00/- (रूपए उनहत्तर लाख बीस हजार एक सौ नवासी मात्र) अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
10. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 69,20,189.00/- (रूपए उनहत्तर लाख बीस हजार एक सौ नवासी मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, आगरा के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-120/दस-2024-2025, दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 93/2024/1644(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

4- जिलाधिकारी, आगरा।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13/ऊर्जा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।